# एस एम ए एम के तहत पावर टिलर, राइस ट्रांसप्लांटर खरीदने के लिए सब्सिडी राशि जानें

अपने कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस एम ए एम) के तहत, भारत सरकार पावर टिलर और राइस ट्रांसप्लांटर की खरीद के लिए पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके लिए भारत सरकार का कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग अपने मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी बी टी) के माध्यम से सब्सिडी दे रहा है।

योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को कुल लागत के 40-50% तक की सब्सिडी दी जाती है। महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित लाभार्थियों को मशीन की कुल लागत के 50% तक सब्सिडी दी जाती है। अन्य लाभार्थियों के लिए सब्सिडी कुल लागत का 40% तक है।

**कृषि मशीनों की खरीद के लिए एस एम ए एम योजना के तहत लागत मानदंड और वित्तीय सहायता का प्रतिरूप**

| मशीन | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए | | अन्य लाभार्थियों के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| | अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी) | सहायता का प्रतिरूप | अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी) | सहायता का प्रतिरूप |
| पावर टिलर (8 बीएचपी से कम) | 65,000 रुपये | 50% | 50,000 रुपये | 40% |
| पावर टिलर (8 बीएचपी एवं अधिक) | 85,000 रुपये | | 75,000 रुपये | |
| स्वचालित राइस ट्रांसप्लांटर (4 पंक्तियों वाला) | 1.50 लाख रुपये | | 1.20 लाख रुपये | |
| स्वचालित राइस ट्रांसप्लांटर (4 से 8 पंक्तियों वाला) | 5 लाख रुपये | | 4 लाख रुपये | |
| स्वचालित राइस ट्रांसप्लांटर (8-16 पंक्तियों से वाला) | 8 लाख रुपये | | 6.50 लाख रुपये | |